

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

प- १९८५० नं०/वि०/३२२०८०

जयपुर, १८ दिनांक ९.१.२००१

लिखेवटर

विष्य :- राज्य में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ किए गए स्पा.न्तरण के स्बध में।

महोदय,

दिनांक ९.१.२००१ को कृषि भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ स्पा.न्तरण स्पा.धूम की सीधा मार्टिमें बताया गया है कि जिन साकर की कार पालिका देवो में कृषि भूमि में कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होने पर जारी पट्टों में प्रारंभित उपचारी एवं अधिकारी अधिकारी के हस्ताक्षर करने वाये जा रहे हैं। उक्त प्राकृति राजस्थान कार पालिका अधिनियम का धारा-१९५९ की अधारपूर्वक ८० के प्रत्यक्ष है। कार पालिका की भूमि पर पट्टे जारी करने का उपचार मात्र भूनियिपल बोर्ड द्वारा है। अतः पट्टों पर कार पालिका के अध्यक्ष एवं अधिकारी अधिकारी के हस्ताक्षर दी करवाये जाने हैं।

कृपया तदनुसार पालना होनारक्त करें।

भवदीय,

एव.एस.भारद्वाज

शास्त्र उप सचिव प्रधम

उत्तिनियि: ५ निटेशन, स्थानीय जिला विभाग, राजस्थान, जयपुर को ऐसा करने वाये जिसे उपचारी अधिकारी पालिका/परिवहन को उक्त एवं उन उपलब्ध करवाने का नियमित करें।